कार्यालय,
राज्य सूचना आयोग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन रापुर

क्रमांक 10 /रा.सू.आ./05 रायपुर, दिनांक 22 /11/2005

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 का क्रियान्वयन हेतु ।

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ लेने के बाद आपकों यह पहला पत्र है । मैं चाहूंगा कि सूचना के अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन राज्य के सभी जिलों में प्रभावशाली तरीके से हो ताकि जन हित में इसका लाभ सभी को प्राप्त हो सके ।

11 नवंबर 2005 के विडियों कांफ्रेस में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है । कांफ्रेंस में मुख्य रूप से 3 विषयों पर चर्चा हुई है । वे हैं :–

(1) स्वयं प्रकटीकरण (Proactive Disclosure) अभिलेख की तैयारी ।
(2) जन सूचना अधिकारी एवं सहायक जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति ।
(3) प्रशिक्षण ।

अधिनियम के तहत सभी लोक प्राधिकारियों को स्वयं प्रकटीकरण अभिलेख तैयार करना है और उसे जनता के लिए प्रसारित करना है । कांफ्रेस के दौरान पता चला कि कुछ जिलों में इस संबंध में प्रगति धीमी है । यह कार्य शीघ्र ही पूरा करना होगा । सभी जिलों में यह अभिलेख समान हो इसलिए राज्य स्तर पर फांरमेट तैयार करने का सुझाव आया था । राजस्व सचिव से अनुरोध है कि एक मांडल तैयार कर शीघ्र सभी जिलों को अभिलेख तैयार करने के लिए निर्देशित करें। अभिलेख तैयार हो जाने पर इसकी प्रति अपने जिले के राजस्व विभाग के सभी जनसूचना अधिकारियों को उपलब्ध करा कर सूचना पटल पर प्रसारित करने को कहें और एन.आई.सी. के माध्यम से इंटरनेट पर अपलोड करा दें ।

आपके जिलांतर्गत सभी विभागों नें जनसूचना अधिकारी एवं सहायक जन सूचना अधिकारी नियुक्त कर लिए है अथवा नहीं इसकी तत्काल समीक्षा करें और आयोग को उसकी जानकारी दें । ध्यान रहे ग्राम पंचायत के सरपंच को जनसूचना अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश राज्य स्तर से दिए गए हैं । जब तक ग्राम पंचायत स्तर पर जनसूचना एवं सहायक जन सूचना अधिकारी नियुक्त नहीं हो जाते तब तक यह कार्य पूरा नहीं होता । साथ ही इनके द्वारा आवेदन प्राप्त करनें, फीस प्राप्त करनें

तथा तत्पश्चात आवेदकों को निर्धारित अवधि में सूचना प्रदान करने का कार्य भी अविलंब प्रारंभ हो जाना चाहिये ।

सभी जन सूचना अधिकारी एवं सहायक जन सूचना अधिकारियों कों प्रशिक्षण देना सबसे महत्वपूर्ण विषय है । प्रशिक्षण का उद्देश्य अधिनियम के सही कियान्वयन होना चाहिए । सही कियान्वयन के दूरगामी परिणाम होंगे । प्रशासन अकादमी द्वारा सभी जिलों में प्रशिक्षक तैयार करके भेज दिए गए हैं । इस हेतु उनका पूरा उपयोग लिया जावे ।

आपकों विदित है कि शासन से निर्धारित सीमा से अधिक निधि लेने वाली स्वयंसेवी संस्थाएं भी लोक प्राधिकारी है । इनको भी स्वयं प्रकटीकरण अभिलेख तैयार करना है एवं जनसूचना/और सहायक जन सूचना अधिकारी नियुक्त करना है । यह कार्य पूर्ण हो इसकी समीक्षा करें । आपके जिले में सभी विभागों के प्राधिकारियों/जन सूचना अधिकारियों से जानकारी एकत्र कर आयोग को भेजने का दायित्व जिला कलेक्टर का ही होगा । इस हेतु आपके कार्यालय में एक वारिष्ठ सयुक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर को इस हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया जावे व उसके नाम ,पते आदि की सूचना आयोग के सचिव को भेजा जावे । मानिटरिंग हेतु आयोंग ने प्रत्येक तिमाही में जानकारी मंगाना तय किया है । ये तिमाही वर्ष के मार्च जून,सितंबर एवं दिसंबर महीने होंगे और इनके आंकड़े अगले महीने के अंत तक आयोग को प्राप्त हो जाना चाहिए । जैसे मार्च तिमाही की जानकारी अप्रैल के अंत तक प्रांप्त हो जाना चाहिएं ।

शुरू में जानकारी हेतु इस पत्र के साथ प्रपत्र संलग्न कर भेजा जा रहा है उसे भरकर इस महीने के अंत तक भेजने की व्यवस्था करें ।

(ए.के.विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त
छत्तीसगढ़ राज्य

क्रमांक 11/राज्य.सू.आ./05 रायपुर, दिनांक 22/11/2005

प्रतिलिपीः–

सचिव,छ.ग.शासन, राजस्व विभाग को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित कि जशपुर जिले के स्वयं प्रकटीकरण के अभिलेखों के समान ही समस्त जिले के अभिलेख तैयार करने के लिए कलेक्टर्स को आवश्यक निर्देश प्रसारित करना चाहेगें ।

(ए.के.विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त
छत्तीसगढ़ राज्य

प्रपत्र

1. जिले में विभागों की संख्या .....

2. जन सूचना अधिकारी

	जिला स्तर	तहसील स्तर	ग्राम स्तर
कुल संख्या			
प्रशिक्षित			
स्वयं प्रकटीकरण अभिलेख प्रसारित किए			

सहायक जन सूचना अधिकारी

		तहसील स्तर	ग्राम स्तर
कुल संख्या			
प्रशिक्षित			

4. स्वयं सेवी संस्थाएं जो लोक प्राधिकारी हैं (सूची जोड़ें)

कुल संख्या	
प्रशिक्षित	
स्वयं प्रकटीकरण अभिलेख तैयार व प्रसारित	

5. अधिनियम के कियान्वयन में आने वाली कठिनाइयां
(गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों के अधिक छायाप्रति मांगने से आने वाली वित्तीय कठिनाइयों के बारे में सुझाव केन्द्र शासन को भेज दिये गए है।)

कठिनाई	सुझाव
1.	
2.	

.....2

6.

जिले का नाम ..... *

पत्रक त्रैमासिक / मासिक .....

आवेदनों का निराकरण : जिले में प्राप्त आवेदन के बारे में जानकारी कुल प्राप्त आवेदन ।

क	विभाग नाम	माह / त्रैमास में प्राप्त आवेदनों की संख्या	दी गई जानकारी वाले आवेदनों की संख्या	पूर्णतः / अंशतः अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	गरीबी रेखा के नीचे वाले आवेदकों की संख्या

*जिस माह या त्रैमास की जानकारी हो उसका उल्लेख किया जाय ।

कलेक्टर के हस्ताक्षर